



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3722]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2018/भाद्र 28, 1940

No. 3722]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2018/BHADRA 28, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2018

का.आ. 4889(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 2361 (आ.), दिनांक 28 जुलाई, 2016 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य (बी आर टी) कर्नाटक को राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफईई 1333 एफडब्ल्यूएल-2008 तारीख 24.1.2011 द्वारा 574.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ बाघ रिज़र्व के रूप में घोषित किया था;

और, बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिला में (कोलेगल, येलनदूर और चामराजनगर तालुका) अवस्थित है और उत्तरी अक्षांश 11° 43' तथा 12° 08' के मध्य और पूर्व देशांतर 77° 00' तथा 77° 16' के मध्य अवस्थित है;

और, बाघ रिज़र्व में बाघ, हाथी, गौर, तेंदुआ, सांभर, चित्तीदार हिरण, मुंजक, चौसिंगा मृग, रीछ, जंगली कुत्ता, पिसूरी आदि का वास है;

और, बाघ रिज़र्व नीलगिरि जीव रिज़र्व का एक भाग है और भारत सरकार के हाथी परियोजना द्वारा मैसूर हाथी रिज़र्व के रूप में घोषित है;

और, संपूर्ण संरक्षित क्षेत्र संभाग के आस-पास के क्षेत्रों सहित विशिष्ट वन है जो सत्यमंगला संभाग मदुमलाई संरक्षित क्षेत्र, कोलेगल प्रखंड, कावेरी वन्यजीव पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं;

और, बाघ रिज़र्व में शुष्क झाड़ीदार जंगल से लेकर सदाबहार वन और झाड़ी घास के मैदान और अधिक ऊँचाई वाले घास तक अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं;

और, बाघ रिज़र्व कर्नाटक में मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के साथ जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु में यह तालामालाई आरक्षित वन, गुट्टी-येलट्टुर संरक्षित वन और अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है जो देश के सबसे बड़े वन्यजीव पर्यावासों में से एक है। तमिलनाडु से सटे राज्य में आरक्षित वनों के माध्यम से मुदुमलाई और बांदीपुर बाघ रिज़र्व और आगे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के लिए कनेक्टिविटी है। बिलिगिरिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य लगभग 35-50 बाघों को रखने के लिए जाना जाता है।

और, यह अभयारण्य क्षेत्र गुंडल और सुवर्णवती नदियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवाह क्षेत्र के रूप में कार्य करता है जो कावेरी नदी की प्रमुख सहायक हैं। यह अभयारण्य गौडाहल्ली, कृष्णियाकाटे, केके बांध और बेलथा जलाशयों के लिए एक महत्वपूर्ण आवाह क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है।

और, बाघ रिज़र्व से स्तनधारियों की 28 प्रजातियां, पक्षियों की 274 प्रजातियां, उभयचरों की 14 प्रजातियां, सरीसृप की 23 प्रजातियां, वनस्पतियों की 1350 प्रजातियां, तितलियों की 145 प्रजातियां, चिकित्सीय पादपों की 886 से अधिक प्रजातियां और आर्किड की लगभग 25 प्रजातियों की रिपोर्ट की गई है;

और, बिलिगिरिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी जीवमंडल रिज़र्व (~ 5500 वर्ग किमी) का भाग है। सैथीमंगल विभाग, मदुमलाई संरक्षित क्षेत्र, मालाई महादेश्वर और कावेरी वन्यजीव विभागों के आस-पास के क्षेत्रों के साथ पूर्ण संरक्षित क्षेत्र जैव-भौगोलिक क्षेत्र का एक अद्वितीय हिस्सा बनता है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों के बीच एक बांध के रूप में कार्य करता है। बिलिगिरिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य शुष्क झाड़ी से सदाबहार जंगल और झाड़ी सवाना और उच्च ऊँचाई घास के मैदानों से बहुत अच्छी तरह से वनस्पति के साथ बहुत ही अद्वितीय है और "राष्ट्रीय विरासत" के रूप में संरक्षित करने के योग्य है। वनस्पतियों में एनोगेसस लैटिफोलिया, डेलबर्गिया पैनिकुलाटा, बेसवेलिया सेरेटा, कमिफोरा कौडेटा, आकाकिया बुंद्रा, डिओस्पिरोस मेलेनोक्सिलॉन, एलियोकार्पस ट्यूबरक्युलैटस, सिज़िगियम मालाबारिकम, शेफ्लेरला कैपिटाटा, कुकुर्मा नेइलघेरोसिस इत्यादि शामिल हैं;

और, बिलिगिरिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य में पाई गई वनस्पतियों की दुर्लभ संकटापन्न लुप्तप्राय प्रजातियां कागाली (अकाकिया कैटेचु), डिंडिगा (एनोइसीसियस लैटिफोलिया), मुतुगा (बुटे मोनोस्पर्मा), उरुगालु (चोलोक्सिलॉन स्विक्टेनिया), बेते (डल्बर्गिया लैटिफोलिया), कामारा (हार्डीविएका बिनटा), होनने (प्टेरोकार्पस मर्सुपियम), श्रृंगंधा (सैंटलम एल्बम), सागडे (श्लेचेरा ओलेसा), मट्टी (टर्मिनलिया टोमेंटोसा), तारे (टर्मिनलिया बेल्लिकाका), हेल, हलगौरी (राइटिया टिनक्टोरिया), जलारी (शोरिया) आदि हैं;

और, मालाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में पाए गए स्तनधारियों और सरीसृपों की दुर्लभ संकटापन्न लुप्तप्राय प्रजातियां इंडियन वाइल्ड डॉग या ढोल (क्यूओन अल्पाइन), गोल्डन जैकल (कैनिस ऑरियस), धारीदार हैयना (हैयना हैयना), रीछ (मेलर्सस अरसिनस), जंगली बिल्ली (फेलिस चॉस), रस्टी-स्पोटेट कैट (प्रिओनैलुरुस रुबीजिनोसस), स्मूथ-कोटेड ओटर (लुट्रोगेल परसपिसिलाटा), ओरिएंटल स्माल-क्लाउड ओटर (एनीएक्स सिनेरेरा), कॉमन ऑटर (लूटरा लूटरा), हनी बैजर (मैलिवोरा कैपेन्सिस), भारतीय साही (हाइस्ट्रिक्स इंडिका), भारतीय साल (मनीस कैसिकाडाटाटा), छोटे भारतीय मुसंग (विवर्रिकाला इंडिका), सामान्य मुसंग (पैराडाक्सुरस हर्मैफ्रोडाइट्स), रड्डी नेवला (हर्पेस्टेस स्मिथि), धारीदार-गर्दन नेवला (हर्पेस्टेस विटिकोलिस), ग्रे नेवला (हर्पेस्टेस एडवर्डी), एशियाई हाथी (एलिफ मैक्सिमस), गौर (बाँस गौरस), सांभर (रुसा यूनिकोलर), चीतल (एक्सिस एक्सिस), फोर होर्नड एंटेलोप (टेट्रासुरस क्राडिकॉर्निस), ब्लैकबक (एंटीलोप सर्विकाप्रा), जंगली सुअर (सस स्क्रोफा), भारतीय मुंटजैक (मुन्तिकस मंटजाक), इंडियन स्पॉटेड शेवरोटैन (मोस्कोओला इंडिका), दक्षिणी मैदानी ग्रे

लंगूर (सेमोपिथेकस दुसुमियेरी), बोननेट मैकक्यू (मकाका रेडिटा), ब्लैक-नेपड हेर (लेपस निग्रिकोलिस), गिज़ल्ड विशाल गिलहरी (रतुफा मैक्रोरा), इंडियन गिऍंट फ्लाईंग गिलहरी (पेटोरिस्टा फिलिपेंसिस), मद्रास ट्री श्रिव (अनाथाना इलीओटी), मार्श मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पालस्ट्रिस), भारतीय मॉनितर छिपकली (वाराणस बेंगलेंसिस), देकन महसिर (टोर खुड्री), भारतीय लोमड़ी (वल्प्स बेंगलेंसिस), भूरा नेवला (हेर्पेस्टेस एसपी) आदि हैं;

और, बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा-1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य की सीमा के चारों ओर 0.50 किलोमीटर से 6.00 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं—

(1) बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के चमराजानगर जिला (कोल्लेगल, योलान्दुर और चमराजानगर तालुकों) में स्थित है और उत्तर अक्षांश 11°43' और 12° 08' और पूर्व देशांतर 77° 00' और 77°16' के बीच स्थित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** में दिया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल भौगोलिक क्षेत्र **262.43 वर्ग किलोमीटर** (राजस्व/संलग्न ग्राम एवं अधिसूचित वन क्षेत्र शामिल है) है।

(2) अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

(3) बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांक **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 49 ग्रामों और 8 संलग्न की सूची का विवरण **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित वन क्षेत्रों का विवरण **उपाबंध V** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप बनाई जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजनायें पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जायेगी, :-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

- (v) शहरी विकास;
 - (vi) पर्यटन;
 - (vii) ग्रामीण विकास;
 - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
 - (ix) नगरपालिका;
 - (x) पंचायती राज;
 - (xi) लोक निर्माण विभाग;
 - (xii) राजमार्ग;
 - (xiii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों व्यवस्था की जाएगी के सुधारक को जिससे कि वे अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बन सकें।
- (5) आंचलिक महायोजना में वन-रहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है,।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस योजना में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जायेंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा तथा इस अधिसूचना के पैरा 4 में तालिका में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जायेगा। .
- (8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि निगरानी के अपने कर्तव्यों का इस अधिसूचना के अनुसार निर्वहन कर सकें।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग:**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा मनोरंजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह-वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्सम्य प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जायेगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ङ) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के सुधार में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करके पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश इस रीति से बनाए जाएंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिज़र्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**— तमिलनाडु राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट**:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं बृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।

2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना हैं।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तथापि, घरेलू छोटी किराने की दुकानों आदि को संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किमी के भीतर अनुमति दी जानी चाहिए।
3.	थर्मल और नई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिष्वावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
6.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
9.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी। परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना;

		<p>(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना;</p> <p>(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप।</p> <p>(ख) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ग) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
11.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
12.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केवल विद्युत के बड़ावा दिया जाएगा।
13.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जायेंगे।
14.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जायेंगे।
15.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
16.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
18.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
19.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल बहिस्त्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिस्त्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
20.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक दोहन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
22.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	तत्काल प्रभाव से निषिद्ध है।

25.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
26.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
27.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
28.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
29.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

1. क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर अध्यक्ष;
 2. विधान सभा का सदस्य, चामराजनगर निर्वाचन क्षेत्र सदस्य;
 3. विधान सभा का सदस्य, कोलेगाला निर्वाचन क्षेत्र सदस्य;
- (बशर्ते कि इस के लिए कर्नाटक राज्य सरकार अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक होने पर कर्नाटक विधान सभा अध्यक्ष की अनुमति सहित संगत अनुमोदन प्राप्त करे।)
4. पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि सदस्य;
 5. शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि सदस्य;
 6. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का एक प्रतिनिधि जिसे कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा सदस्य;
 7. क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर सदस्य;
 8. कर्नाटक सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ सदस्य;
 9. राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ सदस्य;
 10. राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि सदस्य;
 11. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि सदस्य;
 12. उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, जिला, चामराजनगर सदस्य;
 13. प्रशासनिक प्रमुख, वन्यजीव प्रखंड, चामराजनगर सदस्य-सचिव।

6. विचारार्थ विषय:-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और तत्पश्चात् निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हें केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले में आवश्यकता अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध VI** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा. सं. 25/19/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I


बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	
	सीमा रेखा कोलेगल तालुक की थिम्माराजापुरा ग्राम सीमा के मदुमलागुड्डा आरक्षित वन के उत्तर पूर्वी बिंदु के साथ जी.पी.एस निर्देशांक उ 12° 7'28", पू 77° 6'5" से आरंभ होकर और इसके बाद मदुमलागुड्डा और इसके बाद मदुमलागुड्डा राजस्व वन के उत्तरी भाग के साथ होते हुए यह थिम्माराजापुरा ग्राम सीमा के मदुमलागुड्डा राजस्व वन के उत्तरी छोर पहुँचती है। इस बिंदु से रेखा थिम्माराजापुरा ग्राम सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12°7'40", पू 77° 7' 54" पहुँचती है। इसके बाद रेखा थिम्माराजापुरा ग्राम सीमा के साथ जाती है फिर यह थिम्माराजापुरा और होन्दराबलु ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा होन्दराबलु ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ पुनः जाती है फिर यह कोलेगल तालुक के होन्दराबलु ग्राम के उत्तर पश्चिमी छोर पहुँचती है।
	इसके अतिरिक्त, रेखा होन्दराबलु ग्राम के साथ कुछ दूरी पर पूर्व की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12° 9' 1", पू 77° 8' 10" के साथ होन्दराबलु और मधुवनाहल्ली ग्रामों के द्वि-जंक्शन पहुँचती है। इसके बाद रेखा कोलेगल तालुक के मधुवनाहल्ली ग्राम के साथ उत्तरी दिशा में पुनः जाती है फिर यह डोड्डा रंगनाचनाकेरे चैनल के बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त रेखा मधुवनाहल्ली ग्राम थाना से होते हुए डोड्डा रंगनाचनाकेरे चैनल के साथ पूर्व की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त इस चैनल के साथ पूर्व की ओर जाकर यह हरवानपुरा ग्राम सीमा के कोनगाराहल्ली ग्राम की सड़क के बिंदु पहुँचती है। इस बिंदु से रेखा हरवानपुरा ग्राम के साथ नीचे की ओर जाकर यह निर्देशांक उ 12° 8' 52", पू 77° 11' 18" के साथ कोलेगल तालुक के हरवानपुरा और लक्ष्मीपुरम ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा लक्ष्मीपुरम ग्राम की बाहरी सीमा के

	<p>साथ पुनः और नीचे की ओर जाती है यह कोलेगल तालुक के कोलेगल-हसानुर सड़क (एस.एच-38) के लक्ष्मीपुरम और होना बरबेट्टा ग्राम के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है।</p>
पूर्व	<p>कोलेगल- हसानुर सड़क (एस. एच-38) बिंदु के ऊपर से रेखा नीचे की ओर जाती है और होना बरबेट्टा ग्राम से होते हुए कोलेगल- हसानुर सड़क के साथ जाती है फिर यह कोलेगल- हसानुर सड़क के निर्देशांक उ 12° 4' 56", पू 77° 12' 59" के बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा कोलेगल तालुक के होना बरबेट्टा और चैनलीलिंगनाहल्ली ग्रामों से होते हुए उसी सड़क के साथ दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर जाती है फिर यह उसी सड़क के निर्देशांक उ 12° 4' 50", पू 77° 14' 7" के बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा कोलेगल तालुक के चिक्का मालापुरा और सिरागोदु ग्रामों से होते हुए कोलेगल- हसानुर सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है फिर यह उसी सड़क के निर्देशांक उ 12° 2' 3", पू 77° 14' 56" के बिंदु के साथ पहुँचती है। इस बिंदु से रेखा कोलेगल तालुक के लोक्कानाहल्ली ग्राम के उत्तरी भाग के साथ पूर्व की ओर जाती है फिर यह लोक्कानाहल्ली और सिरागोदु की सामान्य ग्राम सीमा के निर्देशांक उ 12° 2' 3", पू 77° 16' 17" के साथ बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा लोक्कानाहल्ली और सिरागोदु ग्रामों की सामान्य ग्राम सीमा के साथ जाती है फिर यह हनुर आरक्षित वन (मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य में सम्मिलित) के बिंदु को छूती है। इसके अतिरिक्त रेखा लोक्कानाहल्ली ग्राम के पूर्वी भाग और मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य सीमा के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 59' 39", पू 77° 16' 39" के साथ लोक्कानाहल्ली ग्राम के दक्षिण पूर्वी छोर पहुँचती है। इसके बाद रेखा लोक्कानाहल्ली ग्राम की दक्षिण पश्चिमी छोर तक लोक्कानाहल्ली ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिमी की ओर जाकर और इसके अतिरिक्त लोक्कानाहल्ली और होना बरबेट्टा ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ उत्तरी की ओर जाती है, फिर यह लोक्कानाहल्ली और होना बरबेट्टा ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा होना बरबेट्टा ग्राम सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाकर और इसके अतिरिक्त मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य (हनुर आरक्षित वन) के साथ ग्राम सीमा के पूर्वी भाग के दक्षिण की ओर नीचे की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 59' 38", पू 77° 15' 17" के बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा हनुर आरक्षित वन सीमा के साथ और होना बरबेट्टा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 57' 11", पू 77° 15' 50" के साथ होना बरबेट्टा ग्राम, हनुर आरक्षित वन, इदयाराहल्ली आरक्षित वन के पूर्वी छोर के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है।</p> <p>इस बिंदु से रेखा इसके अतिरिक्त होना बरबेट्टा ग्राम के पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाकर, जो इदयाराहल्ली आरक्षित वन सेवा (मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य में सम्मिलित) है फिर यह कोलेगल-हसानुर सड़क के बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त रेखा कोलेगल-हसानुर सड़क के साथ जाती है, जो बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य और मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य सीमा है फिर कोलेगल तालुक के अरबीगेरे ग्राम के उत्तर पश्चिमी भाग पहुँचती है। इसके बाद सीमा रेखा मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के संबंधित ग्रामों के निर्देशांक उ 11° 55' 17", पू 77° 15' 42" और उ 11° 55' 44", पू 77° 17' 9" से होते हुए कोलेगल तालुक के अरबीगेरे और परसेगोवदानापलया ग्रामों की उत्तरी भाग के साथ होते हुए जाती है। इसके अतिरिक्त, रेखा मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी सीमा के निर्देशांकों उ 11° 54' 53", पू 77° 17' 55", उ 11° 52' 35", पू 77° 17' 44", उ 11° 50' 39", पू 77° 16' 51" और उ 11° 48' 43", पू 75° 15' 15" से होते हुए कोलेगल तालुक के परसेगोवदानापलया, हथुर और बायलुर ग्रामों के पूर्वी भाग के साथ नीचे की ओर जाती है।</p>
दक्षिण	<p>निर्देशांक उ 11° 48' 43", पू 75° 15' 15" के साथ बिंदु के ऊपर से सीमा तमिलनाडु और कर्नाटक की अंतर राज्य सीमा के साथ पश्चिमी की ओर जाती है, चामराजनगर तालुक के मुकलपलया और होन्नेगौदालोहुन्दी ग्रामों, कोलेगल तालुक, पुंजुर ग्राम के अंतर्गत और निर्देशांक उ 11° 46' 30", पू 77° 1' 47" और उ 11° 46' 20", पू 77° 3' 27" से होते हुए जाती है फिर यह चामराजनगर जिला के हारादानहल्ली जिला वन (ग्राम) और बोम्मालाहल्ली के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है।</p> <p>कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच अंतर-राज्य सीमा के संपूर्ण बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य का दक्षिणी भाग है। इसलिए तमिलनाडु वन विभाग प्राधिकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के पर्यावरण और वन मंत्रालय, दिल्ली दिशा/दिशा निर्देशों वाइड पत्र सं. 1-9/2007 डब्ल्यू एल-(पी टी) दिनांक</p>

	<p>: 16-12-2013 के लिए निवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त सभी संलग्नों के अंतर्गत आरक्षित वनों अर्थात् चमराजनगर राज्य वन, बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर विस्तार वन और धारा 4 अधिसूचित क्षेत्रों बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य में पारिस्थितिक संवेदी जोन के अभयारण्य/आरक्षित की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखने के रूप में शामिल किया गया है।</p>
<p>पश्चिम</p>	<p>द्वि-जंक्शन बिंदु के ऊपर से रेखा बोम्मानाहल्ली ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है और इसके अतिरिक्त बोम्मानाहल्ली ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ पुनः उत्तरी की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 48' 57", पू 76° 58' 49" के साथ बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा बोम्मानाहल्ली ग्राम के पूर्वी और उत्तरी भाग के साथ जाती है फिर यह बोम्मानाहल्ली ग्राम के उत्तरी छोर और बोम्मानाहल्ली और हदानाहल्ली जिला वन (ग्राम) के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त हदानाहल्ली जिला वन (ग्राम) सीमा के पश्चिमी के भाग के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 52' 7", पू 77° 0' 10" के साथ बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा हदानाहल्ली जिला वन (ग्राम) सीमा के उत्तरी भाग के साथ पुनः जाती है फिर यह हदानाहल्ली और कुम्बेशवरा कॉलोनी ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इस बिंदु से सीमा चामराजनगर तालुक के कुम्बेशवरा कॉलोनी की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 54' 15", पू 77° 1' 31" बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा कुम्बेशवरा कॉलोनी और मल्लेदेवानाहल्ली ग्रामों के उत्तरी भाग के साथ जाती है फिर यह चमराजनगर तालुका के मल्लेदेवानाहल्ली और होन्दराबलु ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इस बिंदु से रेखा होन्दराबलु ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है फिर यह जी.पी.एस. निर्देशांक उ 11° 55' 29", पू 77° 4' 51" के होन्दराबलु और ज्योतिगोवदानापुरा के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा ज्योतिगोवदानापुरा ग्राम से होते हुए उद्यान सीमा से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है फिर यह जी.पी.एस. निर्देशांक उ 11° 56' 23", पू 77° 5' 24" के ज्योतिगोवदानापुरा और मेलमाला के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा मेलमाला ग्राम के दक्षिणी भाग के साथ पुनः जाती है, इसके अतिरिक्त चामराजनगर तालुक के मेलमाला ग्राम की उत्तर-पश्चिमी सीमा से होते हुए जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 57' 56", पू 77° 5' 22" बिंदु के साथ पहुँचती है। इस बिंदु से, रेखा मेलमाला और थिमेगोवदानापलया ग्रामों उत्तरी भाग और पूर्वी भाग के साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है फिर यह येलनदूर तालुक के येरागम्बली और चमराजनगर तालुक के थिमेगोवदानापलया के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है।</p> <p>इसके बाद रेखा वन सीमा से 1 किलोमीटर और उत्तर की ओर जाती है फिर यह गुमबली और येरागम्बली के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद पुनः रेखा वन सीमा से 1 किलोमीटर जाती है फिर यह येलनदूर तालुक के गुमबली और येदागेरे के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है।</p> <p>इसके बाद रेखा गुमबली ग्राम की उत्तर पश्चिमी सीमा के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है फिर यह येलनदूर तालुक के गुमबली और वदागेरे ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा वदागेरे ग्राम सीमा के पश्चिमी भाग के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12° 3' 1", पू 77° 4' 17" बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके अतिरिक्त रेखा वदागेरे ग्राम के उत्तरी भाग के साथ जाती है फिर यह वदागेरे और गोवदाहल्ली ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा गोवदाहल्ली और मलारपलया ग्रामों के साथ उत्तर दिशा की ओर पुनः जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12° 3' 46" पू 77° 4' 50" बिंदु के साथ पहुँचती है। इस बिंदु से सीमा रेखा येलनदूर तालुक के मलारपलया, देवराहल्ली और शिवाकाहल्ली ग्रामों की बाहरी पूर्वी सीमा के साथ जाती है, फिर यह निर्देशांक उ 12° 5' 33", पू 77° 4' 33" शिवाकाहल्ली ग्राम के पूर्वी मुख्य छोर पहुँचती है। इसके बाद रेखा शिवाकाहल्ली ग्रामों के पूर्वी और उत्तरी भाग के साथ जाती है फिर यह कोलेगल तालुक के सुरपुरा और येरेपलया ग्राम और येलनदूर तालुक के शिवाकाहल्ली के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा कोलेगल तालुक के सुरपुरा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है और निर्देशांक उ 12° 5' 30", पू 77° 6' 0" से होते हुए कोलेगल तालुक के थिम्माराजापुरा के मदुमलागुड्डा राजस्व वन के दक्षिण पश्चिमी छोर पहुँचती है। इसके बाद आखिरकार इस बिंदु से, रेखा उत्तर पूर्वी बिंदु निर्देशांक उ 12° 7' 28", पू 77° 6' 5" के साथ थिम्माराजापुरा ग्राम के मदुमलागुड्डा राजस्व वन की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है (आरंभिक बिंदु)।</p>

बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: बिलिगिरिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	11° 43' 11"	77° 7' 6"
2	11° 45' 24"	77° 4' 11"
3	11° 46' 48"	77° 5' 22"
4	11° 47' 9"	77° 2' 15"
5	11° 48' 44"	77° 0' 22"
6	11° 51' 51"	77° 3' 2"
7	11° 53' 40"	77° 2' 40"
8	11° 55' 9"	77° 4' 22"
9	11° 56' 24"	77° 6' 39"
10	11° 58' 10"	77° 6' 44"
11	12° 1' 2"	77° 4' 56"
12	12° 2' 51"	77° 7' 55"
13	12° 3' 45"	77° 9' 29"
14	12° 4' 57"	77° 8' 4"
15	12° 5' 48"	77° 9' 25"
16	12° 6' 37"	77° 8' 37"
17	12° 8' 41"	77° 10' 18"
18	12° 7' 25"	77° 11' 14"
19	12° 2' 39"	77° 12' 1"
20	12° 5' 47"	77° 12' 18"
21	12° 4' 45"	77° 13' 46"
22	12° 1' 48"	77° 13' 27"
23	12° 1' 15"	77° 14' 32"
24	11° 57' 52"	77° 15' 5"
25	11° 54' 18"	77° 15' 42"
26	11° 54' 4"	77° 14' 24"
27	11° 52' 31"	77° 13' 49"
28	11° 49' 35"	77° 13' 7"
29	11° 51' 31"	77° 14' 42"
30	11° 50' 1"	77° 15' 7"
31	11° 47' 40"	77° 13' 49"
32	11° 47' 5"	77° 11' 0"
33	11° 46' 21"	77° 6' 46"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	11° 46' 7"	77° 3' 27"
2	11° 46' 30"	77° 1' 47"
3	11° 48' 57"	76° 58' 49"
4	11° 52' 7"	77° 0' 10"
5	11° 54' 15"	77° 1' 31"
6	11° 54' 21"	77° 3' 20"
7	11° 55' 38"	77° 2' 40"
8	11° 55' 29"	77° 4' 51"
9	11° 56' 23"	77° 5' 24"
10	11° 57' 43"	77° 4' 36"
11	12° 0' 5"	77° 5' 4"
12	12° 1' 40"	77° 4' 48"
13	12° 3' 46"	77° 4' 50"
14	12° 5' 33"	77° 4' 33"
15	12° 5' 30"	77° 6' 0"
16	12° 7' 28"	77° 6' 5"
17	12° 7' 40"	77° 7' 54"
18	12° 9' 1"	77° 8' 10"
19	12° 8' 52"	77° 11' 18"
20	12° 6' 56"	77° 12' 59"
21	12° 4' 41"	77° 14' 20"
22	12° 2' 3"	77° 14' 56"
23	12° 1' 41"	77° 16' 17"
24	11° 59' 39"	77° 16' 39"
25	11° 59' 38"	77° 15' 17"
26	11° 57' 11"	77° 15' 50"
27	11° 55' 17"	77° 15' 42"
28	11° 55' 44"	77° 17' 9"
29	11° 54' 53"	77° 17' 55"
30	11° 52' 35"	77° 17' 44"
31	11° 50' 39"	77° 16' 51"
32	11° 48' 43"	77° 15' 15"

उपाबंध IV

भू-निर्देशांकों के साथ बिलिगिरिंंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आई डी	ग्राम के नाम	तालुक	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर में	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
1	बिलिगिरिंंगास्वामी मंदिर	येलनदूर	चामराजनगर	441.891	11° 59' 50"	77° 9' 29"	* संपूर्ण ग्राम
2	इम्मेहट्टी	कोलेगल	चामराजनगर	55.9225	11° 54' 3"	77° 11' 38"	संपूर्ण ग्राम
3	होन्नामेट्टी	कोलेगल	चामराजनगर	493.63	11° 52' 12"	77° 11' 6"	संपूर्ण ग्राम
4	बेदागुली	चामराजनगर	चामराजनगर	212.177	11° 50' 39"	77° 9' 57"	संपूर्ण ग्राम
5	चिकमुदाहल्ली	चामराजनगर	चामराजनगर	149.674	11° 49' 58"	77° 3' 55"	संपूर्ण ग्राम
6	डोड्डामुदाहल्ली	चामराजनगर	चामराजनगर	494.952	11° 48' 34"	77° 3' 56"	संपूर्ण ग्राम
7	पुनजुर	चामराजनगर	चामराजनगर	499.589	11° 46' 22"	77° 6' 39"	संपूर्ण ग्राम
8	पुनजतुर राज्य वन	चामराजनगर	चामराजनगर	843.949	11° 45' 10"	77° 4' 45"	संपूर्ण ग्राम
9	होन्नेगौदानाहुन्दी	चामराजनगर	चामराजनगर	166.891	11° 46' 17"	77° 1' 57"	संपूर्ण ग्राम
10	बोरोमराहल्ली	चामराजनगर	चामराजनगर	336.021	11° 49' 8"	76° 58' 51"	संपूर्ण ग्राम
11	हरादोमहल्ली जिला वन	चामराजनगर	चामराजनगर	1401.25	11° 50' 60"	77° 0' 2"	संपूर्ण ग्राम
12	अत्तुगुलिपुर	चामराजनगर	चामराजनगर	279.138	11° 49' 46"	76° 59' 50"	संपूर्ण ग्राम
13	होन्नालयादी	चामराजनगर	चामराजनगर	35.8129	11° 51' 14"	77° 0' 59"	संपूर्ण ग्राम
14	कुम्बेश्वरा कॉलोनी	चामराजनगर	चामराजनगर	458.19	11° 52' 9"	77° 1' 49"	संपूर्ण ग्राम
15	अय्यानपुरा	चामराजनगर	चामराजनगर	325.893	11° 53' 47"	77° 1' 25"	संपूर्ण ग्राम
16	मल्लेदेवानाहल्ली	चामराजनगर	चामराजनगर	301.669	11° 54' 21"	77° 2' 50"	संपूर्ण ग्राम
17	हरादानाहल्ली जिला वन	चामराजनगर	चामराजनगर	38.8297	11° 53' 32"	77° 3' 22"	संपूर्ण ग्राम
18	होन्दरालु	चामराजनगर	चामराजनगर	1057.43	11° 55' 41"	77° 2' 39"	संपूर्ण ग्राम
19	जोतिगौदानापुर	चामराजनगर	चामराजनगर	212.95	11° 55' 54"	77° 4' 58"	1 किलोमीटर
20	मेलमाल	चामराजनगर	चामराजनगर	982.64	11° 57' 15"	77° 4' 9"	संपूर्ण ग्राम सीमा
21	तिम्मेगौदानापलया	चामराजनगर	चामराजनगर	498.752	11° 58' 42"	77° 5' 14"	संपूर्ण ग्राम
22	येरागम्बल्ली	येलनदूर	चामराजनगर	453.593	12° 0' 44"	77° 4' 25"	1 किलोमीटर
23	गुम्बल्ली	येलनदूर	चामराजनगर	108.567	12° 1' 42"	77° 4' 54"	1 किलोमीटर
24	वदागेरे	येलनदूर	चामराजनगर	245.268	12° 2' 45"	77° 4' 20"	संपूर्ण ग्राम
25	गौदाहल्ली	येलनदूर	चामराजनगर	490.196	12° 3' 12"	77° 4' 45"	संपूर्ण ग्राम
26	अलकेरेग्राहरा	येलनदूर	चामराजनगर	205.254	12° 3' 30"	77° 5' 31"	संपूर्ण ग्राम
27	जोदीमेल्लाहल्ली	येलनदूर	चामराजनगर	68.162	12° 3' 43"	77° 4' 58"	संपूर्ण ग्राम
28	मलारपालया	येलनदूर	चामराजनगर	256.832	12° 4' 13"	77° 5' 9"	संपूर्ण ग्राम
29	देवराहल्ली	येलनदूर	चामराजनगर	93.5211	12° 4' 50"	77° 4' 47"	संपूर्ण ग्राम
30	शिवकाहल्ली	येलनदूर	चामराजनगर	232.861	12° 5' 44"	77° 4' 43"	संपूर्ण ग्राम
31	अरेपालया	कोलेगल	चामराजनगर	75.4656	12° 5' 15"	77° 6' 10"	संपूर्ण ग्राम
32	सुरापुरा	कोलेगल	चामराजनगर	952.734	12° 6' 8"	77° 5' 56"	मदुमालेगुड्डा की पश्चिमी

							सीमा
33	जक्कालीदोदी	कोलेगल	चामराजनगर	672.347	12° 6' 40"	77° 7' 18"	संपूर्ण ग्राम
34	तिम्मराजापुरा	कोलेगल	चामराजनगर	845.367	12° 7' 34"	77° 7' 4"	संपूर्ण ग्राम
35	होन्दराबालु	कोलेगल	चामराजनगर	698.986	12° 8' 39"	77° 7' 52"	संपूर्ण ग्राम
36	मधुवानाहल्ली	कोलेगल	चामराजनगर	189.245	12° 9' 5"	77° 9' 19"	संपूर्ण ग्राम
37	हरुवानापुरम	कोलेगल	चामराजनगर	158.596	12° 8' 58"	77° 10' 53"	संपूर्ण ग्राम
38	लक्ष्मीपुरम	कोलेगल	चामराजनगर	558.412	12° 8' 22"	77° 11' 48"	संपूर्ण ग्राम
39	होना बेरविट्टा	कोलेगल	चामराजनगर	3690.62	11° 52' 26"	77° 15' 44"	कोलेगल-
40	चेन्नालिगनाहल्ली	कोलेगल	चामराजनगर	493.925	12° 5' 10"	77° 13' 58"	हसनूर ग्राम
41	चिक्का मालापुरा	कोलेगल	चामराजनगर	446.874	12° 3' 25"	77° 14' 18"	तक घाट रोड
42	सिरागोडु	कोलेगल	चामराजनगर	319.625	12° 2' 19"	77° 14' 35"	
43	लक्कानाहल्ली	कोलेगल	चामराजनगर	1077.19	12° 0' 49"	77° 16' 15"	संपूर्ण ग्राम
44	मवात्तुर	कोलेगल	चामराजनगर	140.497	11° 53' 31"	77° 15' 1"	संपूर्ण ग्राम
45	गुण्डीमालम	कोलेगल	चामराजनगर	93.7811	11° 50' 21"	77° 13' 57"	संपूर्ण ग्राम
46	अरावीकेरे	कोलेगल	चामराजनगर	1178.13	11° 54' 12"	77° 16' 53"	संपूर्ण ग्राम
47	परासेगोदलापाल्या	कोलेगल	चामराजनगर	1013.25	11° 54' 30"	77° 17' 56"	संपूर्ण ग्राम
48	उत्तुरु	कोलेगल	चामराजनगर	1240.9	11° 51' 21"	77° 16' 56"	संपूर्ण ग्राम
49	वैलुर	कोलेगल	चामराजनगर	956.112	11° 49' 17"	77° 15' 34"	संपूर्ण ग्राम
			कुल :	26243.56			

* बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर और कुछ सरकारी विभागों को दी गई भूमि को भविष्य के विकास के लिए ध्वनि पर्यावरण अनुकूल मानदंडों के साथ अनुमति दी जाएगी।

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित निकटस्थ वन क्षेत्रों और ग्रामों की सूची निम्न रूप से है। अधिसूचित/वर्गीकृत वन क्षेत्र - 51.53 वर्ग किलोमीटर या 5153.05 हेक्टेयर है (पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्र भू-आलेखी क्षेत्र में शामिल है)

क्र. सं.	जिला	आरक्षित/राज्य वनों के नाम	प्रशासनिक नियंत्रण	क्षेत्र हेक्टेयर में	जी.ओ. सं./अधिसूचना सं. और दिनांक
1	चामराजनगर	बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर ब्लॉक-1	बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य चामराजनगर	1727.77	जी.ओ. सं. एल.एन.डी/पी.आर./210/93-94 दिनांक. 7-2-1994
2	चामराजनगर	थम्मानगुहा के गुदी श्रेणी में	बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य चामराजनगर	216.00	अनुमोदित प्रबंधन योजना के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र के लिए खंड -4 अधिसूचना 2008-09 से 2017-18
3	चामराजनगर	सी और डी भूमि	बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य चामराजनगर	2647.51	जी.ओ. सं. आर. डी. 06. एल. जी. पी. 88 बैंगलोर, दिनांक 07-06-1993.
4	चामराजनगर	मदुमलागुड्डा राजस्व वन	मेल महादेश्वरा वन्यजीव प्रभाग	561.77	जी.ओ. सं. ए. एच. एफ. एफ.-152 एफ. ए. एफ.-91 दिनांक 3-6-1991
			कुल	5153.05	

उपाबंध VI**पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति — की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2018

S.O. 4889(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O 2361 (E), dated 28 July, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: -esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Biligirirangaswamy Temple Wildlife Sanctuary (BRT) was declared as a Tiger Reserve with an extent of **574.82 square kilometer** vide notification of the State Government of Karnataka No. FEE 133 FWL 2008 dated 24.1.2011;

AND WHEREAS, the Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve is situated in Chamrajanagar District (Kollegal, Yelandur and Chamrajanagar Talukas) of Karnataka State and lies between the North Latitudes 11°43' and 12°08' and between the East Longitudes 77°00' and 77°16';

AND WHEREAS, the Tiger Reserve harbours Tiger, Elephant, Guar, leopard, sambar, spotted deer, barking deer, four horned antelope, sloth bear, wild dogs, mouse deer etc.

AND WHEREAS, the Tiger Reserve is a part of the Nilgiri Biosphere Reserve and the Mysore Elephant Reserve declared by Project Elephant, Government of India;

AND WHEREAS, the entire protected area along with adjoining areas of Sathyamangala Division, Madumalai Protected Area, Kollegal Division, Cauvery Wildlife Division forms a unique patch of forests which acts as a bridge between Western Ghats and Eastern Ghats;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve has a variety of vegetation ranging from dry scrub jungle to evergreen forests and shrub savannas and high altitude grasslands;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve is contiguous with Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary in Karnataka. In Tamil Nadu it is connected to Talamalai Reserved Forest, Gutti-Yelattur Reserved Forest and other areas forming one of the largest contiguous wildlife habitats in the country. Through the reserved forests in the adjoining state of Tamilnadu there is connectivity to Mudumalai and Bandipur Tiger Reserves and further to Nagarahole National Park. Biligirirangaswamy Temple Wildlife Sanctuary is known to hold approximately about 35-50 tigers.

AND WHEREAS, this Sanctuary area acts as an important catchment area for Gundal and Suvarnavathi rivers that are major tributaries of River Cauvery. The Sanctuary also acts as an important catchment area for Gowdahalli, Krishnaiyakatte, KK dam and Bellattha reservoirs.

AND WHEREAS, 28 species of Mammals, 274 species of birds, 14 species of amphibians, 23 species of reptiles, 1350 species of flora, 145 species of butterflies, more than 886 species of medicinal plants and around 25 species of orchids are reported from the Tiger Reserve;

AND WHEREAS, Biligirirangaswamy Temple Wildlife Sanctuary forms part of the Nilgiri Biosphere Reserve (~5500 sq km). Entire protected area along with adjoining areas of Sathyamangala Division, Madumalai Protected Area, Malai Mahadeshwara & Cauvery Wildlife Divisions forms a unique chunk of Bio-geographical zone which acts as a bridge between Western Ghats and Eastern Ghats. B.R.T. Wildlife Sanctuary with great variety of vegetation right from dry scrub jungle to evergreen forests and shrub savannas and high altitude grasslands is very unique and deserve a place to be conserved as “**National Heritage**”. The vegetation comprises of *Anogeissus latifolia*, *Dalbergia paniculata*, *Baswellia serrata*, *Commiphora caudate*, *Acacia chundra*, *Diospyros melanoxylon*, *Elaeocarpus tuberculatus*, *Syzygium malabaricum*, *Schefflera capitata*, *Cucurma neilgherrensis* etc;

AND WHEREAS, RET species of flora found in Biligirirangaswamy Temple Wildlife Sanctuary are Kaggali (*Acacia catechu*), Dindiga (*Anogeissus latifolia*), Muttuga (*Butea monosperma*), Urugalu (*Choleoxylon Swietenia*), Beete (*Dalbergia latifolia*), Kamara (*Hardiwiekea binata*), Honne (*Pterocarpus marsupium*), Shrigandha (*Santalum album*), Sagade (*Schleichera oleosa*), Matti (*Terminalia tomentosa*), Tare (*Terminalia bellerica*), Hale, Halgouri (*Wrightia tinctoria*), Jalari (*Shorea*) etc;

AND WHEREAS, RET species of mammals & reptiles found in Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary are Indian wild dog or dhole (*Cuon alpinus*), Golden jackal (*Canis aureus*), Striped hyaena (*Hyaena hyaena*), Sloth bear (*Melursus ursinus*), Jungle cat (*Felis chaus*), Rusty-spotted cat (*Prionailurus rubiginosus*), Smooth-coated otter (*Lutrogale perspicillata*), Oriental small-clawed otter (*Aonyx cinerea*), Common otter (*Lutra lutra*), Honey badger (*Mellivora capensis*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), Small Indian civet (*Viverricula indica*), Common palm civet (*Paradoxurus hermaphrodites*), Ruddy mongoose (*Herpestes smithii*), Stripe-necked Mongoose (*Herpestes vitticollis*), Grey mongoose (*Herpestes edwardsii*), Asian elephant (*Elephas maximus*), Gaur (*Bos gaurus*), Sambar (*Rusa unicolor*), Chital (*Axis axis*), Four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), Blackbuck (*Antelope cervicapra*), Wild pig (*Sus scrofa*), Indian muntjac (*Muntiacus muntjak*), Indian Spotted chevrotain (*Moschiola indica*), Southern plains gray langur (*Semnopithecus dussumieri*), Bonnet macaque (*Macaca radiata*), Black-naped hare (*Lepus nigricollis*), Grizzled giant squirrel (*Ratufa macroura*), Indian giant flying squirrel (*Petaurista philippensis*), Madras tree shrew (*Anathana ellioti*), Marsh crocodile (*Crocodylus palustris*), Indian monitor lizard (*Varanus bengalensis*), Deccan mahseer (*Tor khudree*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*), Brown Mongoose (*Herpestes* sp) etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification, around the Biligirirangaswamy Temple Wildlife

Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone to protect wildlife and their habitat therein or its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from **0.50 kilometer to 6.00 kilometers** from the boundary of Biligirirangaswamy Temple Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka, as the Biligirirangaswamy Temple Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. Extent and Boundary of Eco-Sensitive Zone:—

- (1) The Biligirirangaswamy Temple Wildlife Sanctuary is situated in Chamrajanagar District (Kollegal, Yelandur and Chamrajanagar Talukas) of Karnataka State and lies between the North Latitudes 11°43' and 12° 08' and between the East Longitudes 77° 00' and 77°16'. The boundary description of the said Eco-sensitive Zone are given at **Annexure-I**. The Eco-sensitive zone covers a total geographical area of **262.43 Square Kilometers** (Includes Revenue/Enclosure villages & Notified Forest areas).
- (2) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes & longitudes is appended as **Annexure II**.
- (3) The Geo Coordinates of major points on the boundary of Biligirirangaswamy Temple Wildlife Sanctuary and on the boundary of Eco-sensitive Zone boundary is appended as **Annexure-III**.
- (4) The details of the list of 49 villages and 8 enclosures falling within the Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-IV**.
- (5) The details of the notified forest areas within the Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-V**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.— (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development ;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj;

- (xi) Public Works Department;
- (xii) Highways;
- (xiii) Karnataka State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) Land use. –

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
 - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) Small scale industries not causing pollution;
 - (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 - (v) Promoted activities and given in paragraph 4;
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.—The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage.—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.—Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.—The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air pollution.**—Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.**—Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.**—Disposal and Management of solid wastes shall be as under:

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**—Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of biomedical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.**—The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.**—The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.**—The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.**—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(15) **Vehicular Pollution.**—Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.**—(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted. However, household small kirani shops etc., should be permitted within 1 km from the boundary of the Protected Area.
3.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

6.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
7.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the Biligirirangaswamy Temple Wildlife Sanctuary or upto the extent Eco-sensitive Zone, whichever is nearer except for small temporary structures for Eco-tourism activities.</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan guidelines as applicable.</p>
9.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
10.	Construction activities.	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 1 km from the boundary of the Biligirirangaswamy Temple Wildlife Sanctuary or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential and local commercial use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting Eco-tourism including homestays; and (v) Promotional activities listed in this Notification. <p>(b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per Zonal Master Plan.</p>

11.	Felling of trees.	a) There shall be no felling of trees on the forest or government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. b) Felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
13.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
14.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot-air balloon, drones, helicopters, Microlites etc.	Regulated under applicable laws.
16.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
19.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluents shall be regulated as per applicable laws.
20.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
21.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
22.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
23.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
24.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
26.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
27.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
28.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.

29	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
30	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc. to be activity promoted
31	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

1. Regional Commissioner, Mysuru Chairman;
 2. Member of Legislative Assembly (MLA), Chamarajanagar Constituency Member;
 3. Member of Legislative Assembly (MLA), Kollegala Constituency Member;
- (Subject to the State Govt. of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)
4. Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka Member;
 5. Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka Member;
 6. Representative of Non-Governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government Member;
 7. The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Chamarajanagar Member;
 8. One expert in ecology from reputed institution or university of the state of Karnataka to be nominated by the State Government Member;
 9. An expert in Biodiversity nominated by the State Government Member;
 10. A representative from State Public Works Department Member;
 11. A representative from State Pollution Control Board Member;
 12. Deputy Commissioner or his representative, Chamarajanagar Member;
 13. Administrative head of Chamarajanagar Wildlife Division Member Secretary.

6. Terms of Reference. –

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure VI**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/19/2016-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BILIGIRIRANGASWAMY TEMPLE WILDLIFE SANCTUARY


North	<p>The boundary line starts from a north eastern point on Madumalegudda Reserved Forest on Thimmarajapura village boundary of Kollegal taluk with co-ordinates N 12° 7' 28", E 77° 6' 5" and then passes all along the northern part of Madumalegudda Revenue Forest until it reaches the northern tip of Madumalegudda Revenue Forest on Thimmarajapura village boundary. From this point the line runs eastwards along Thimmarajapura village boundary till it reaches the co-ordinates N 12° 7' 40", E 77° 7' 54". Then the line runs along the Thimmarajapura village boundary till it reaches the bi-junction point of Thimmarajapura and Hondarabalu villages. Then the line continues along the Western boundary of Hondarabalu village until it reaches the north-western tip of Hondarabalu village of Kollegal taluk.</p> <p>Further, the line runs eastwards for some distance along Hondarabalu village till it reaches bi-junction point of Hondarabalu and Madhuvanahalli villages with co-ordinates N 12° 9' 1", E 77° 8' 10". Then the line continues in northern direction along Madhuvanahalli village of Kollegal taluk till it reaches a point on the Dodda Ranganachanakere channel and further the line runs eastwards along the Dodda Ranganachanakere channel through Madhuvanahalli gramathana and further runs eastwards along the said channel it reaches a point on the road leading to Kongarahalli village on Haravanapura village boundary. From this point the line descends downwards along Haravanapura village until it reaches bi-junction point of Haravanapura and Lakshmipuram villages of Kollegal taluk with co-ordinates N 12° 8' 52", E 77° 11' 18". Then the line continues and descends down along outer boundary of Lakshmipuram village till it reaches a bi-junction point on Lakshmipuram and Hona Berrabetta village of Kollegal taluk on a point Kollegal – Hasanur Road (SH-38).</p>
East	<p>From the above point on Kollegal-Hasanur road (SH-38) the line descends down and runs along the Kollegal-Hasanur road through Hona Berrabetta village until it reaches a point with co-ordinates N 12° 6' 56", E 77° 12' 59" on the said road. Then the line runs in south-eastward direction along the same road through Hona Berrabetta and</p>

	<p>Chennalinganahalli villages of Kollegal taluk until it reaches a point with co-ordinates N 12° 4' 50", E 77° 14' 7" on the same road. Then the line runs south wards along the Kollegal – Hasanur road through Chikka Malapura and Siragodu villages of Kollegal taluk till it reaches a point with co-ordinates N 12° 2' 3", E 77° 14' 56" on the said road. From this point the line runs eastwards along the northern part of Lokkanahalli village of Kollegal taluk till it reaches a point with co-ordinates N 12° 2' 3", E 77° 16' 17" on common village boundary of Lokkanahalli and Siragodu villages. Then the line runs along common village boundary of Lokkanahalli and Siragodu villages till it touches a point on Hanur Reserved Forest (included in Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary). Further the line runs along the common boundary of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary and eastern part of Lokkanahalli village till it reaches the south-eastern tip of Lokkanahalli village with co-ordinates N 11° 59' 39", E 77° 16' 39". Then the line runs westwards along the southern boundary of Lokkanahalli village till the south-western tip of Lokkanahalli village and further runs northwards along common village boundary of Lokkanahalli and Hona Berrabetta villages, till it reaches the bi-junction point of the said villages. Then the line runs westwards along Hona Berrabetta village boundary and further descends down southwards on eastern part of the village boundary along Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary (Hanur Reserve Forest) till it reaches a point with co-ordinate N 11° 59' 38", E 77° 15' 17". Then the line runs southwards along the eastern boundary of Hona Berrabetta village and along Hanur Reserve Forest boundary till it reaches the tri-junction point of eastern tip of Hona Berrabetta village, Hanur Reserve Forest, Edayarahalli Reserve Forest with co-ordinates N 11° 57' 11", E 77° 15' 50".</p> <p>From this point the line further runs southwards along eastern boundary of Hona Berrabetta village, which happens to be Edayarahalli Reserve Forest boundary [included in Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary] till it reaches a point on Kollegal-Hasanur road and further line runs along the said road, which happens to be common boundary of BRT Wildlife Sanctuary and Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary till it reaches north-western corner of Arabigerevillage of Kollegal taluk. Then the boundary line passes along the northern part of Arabigere and Parasegowdanapalya villages of Kollegal taluk through the co-ordinates N 11° 55' 17", E 77° 15' 42" and N 11° 55' 44", E 77° 17' 9" of respective villages on Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary boundary. Further, the line descends down along the eastern part of Parasegowdanapalya, Huthur and Byalur villages of Kollegal taluk through the co-ordinates N 11° 54' 53", E 77° 17' 55", N 11° 52' 35", E 77° 17' 44", N 11° 50' 39", E 77° 16' 51" and N 11° 48' 43", E 75° 15' 15" on the western boundary of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary.</p>
South	<p>From the above point with co-ordinate N 11° 48' 43", E 75° 15' 15" the boundary runs westwards along the inter-state boundary of Karnataka and Tamilnadu, encompasses Punjur village of Kollegal taluk, Mukanapalya and Honnegaudanahundi villages of Chamarajanagar taluk and passes through co-ordinates N 11° 46' 30", E 77° 1' 47" and N 11° 46' 30", E 77° 3' 27" until it reaches a bi-junction point of Haradanahalli District Forest (village) and Bommanahalli villages of Chamarajanagar District.</p> <p>The southern portion of the entire B.R.T Wildlife Sanctuary forms interstate boundary between Karnataka & Tamilnadu States. Hence, the Tamilnadu Forests Department authority has been requested to maintain eco-sensitive zone as per the Ministry of Environment and Forests, New Delhi directions / guidelines vide letter no. 1-9/2007 WL-(Pt) dated: 16-12-2013. Further, all enclosures within the Reserve Forests namely, Chamarajanagar State Forest, BRT Reserve Forest, Doddasampige Reserve Forest, BRT Extension Forest and Section-4 Notified areas forming B.R.T Wildlife Sanctuary are included as eco-sensitive zone to maintain the ecological integrity of the Sanctuary / Reserve.</p>

West	<p>From the above bi-junction point the line runs along the southern boundary of Bommanahalli village and further continues northwards along eastern boundary of Bommanahalli village till it reaches a point with co-ordinate N 11° 48' 57", E 76° 58' 49". Then the line runs along the eastern and northern part of Bommanahalli village until it reaches the northern tip of Bommanahalli village and the bi-junction point of Bommanahalli and Haradanahalli District Forest (village) and further runs along the western part of Haradanahalli District Forest (village) boundary till it reaches the point with co-ordinate N 11° 52' 7", E 77° 0' 10". Then the line continues along the northern part of Haradanahalli District Forest (village) boundary till it reaches the bi-junction point of Haradanahalli and Kumbeshwara colony villages. From this point the boundary runs along the western boundary of Kumbeshwara colony of Chamarajanagar taluk till it reaches a point with co-ordinate N11° 54' 15", E 77° 1' 31". Then the line proceeds along the northern part of Kumbeshwara colony and Malledevanahalli villages till it reaches the bi-junction point of Malledevanahalli and Hondarabalu villages of Chamarajanagar taluk. From this point the line passes northwards along eastern boundary of Hondarabalu village till it reaches the bi-junction point of Hondarabalu and Jyotigowdanapura at GPS co-ordinates N 11° 55' 29", E 77° 4' 51". Then the line runs one kilometer away from park boundary through the Jyotigowdanapura village towards north till it reaches bi-junction point of Jyotigowdanapura and Melmala at the GPS co-ordinates N 11° 56' 23", E 77° 5' 24". Then the line continues along the southern part of Melmala village, further the line passes along the north-western boundary of Melmala village of Chamarajanagar taluk till it reaches a point with co-ordinate N 11° 57' 56", E 77° 5' 22". From this point, the line passes northward direction along northern part and eastern part of Melmala and Thimmegowdanapalya villages till it reaches the bi-junction point of Thimmegowdanapalya of Chamarajanagar taluk and Yeragamballi of Yelandur taluk. Then the line runs one kilometer away from the forest boundary and runs toward north till it reaches bi-junction point of Gumballi and Yeragamballi. Then again line runs one kilometer away from the forest boundary till it reaches bi-junction point of Gumballi and Yedagere of Yelandur taluk.</p> <p>Then the line proceeds in westward direction along the north-western boundary of Gumballi village till it reaches the bi-junction point of Gumballi and Vadagere villages of Yelandur taluk. Then the line runs along western part of Vadagere village boundary until it reaches a point with co-ordinates N12° 3' 1", E 77° 4' 17". Further the line passes along the northern part of Vadagere village till it reaches bi-junction point of Vadagere and Gowdahalli villages. Then the line continues in northward direction along Gowdahalli and Malarpalya villages till it reaches point with co-ordinates N12° 3' 46", E 77° 4' 50". From this point the boundary line runs along the outer eastern boundary of Malarpalya, Devarahalli and Shivakahalli villages of Yelandur taluk, till it reaches the eastern most tip of Shivakahalli village with co-ordinates N12° 5' 33", E 77° 4' 33". Then the line runs along eastern and northern part of Shivakahalli villages till it reaches a tri-junction point of Shivakahalli of Yelandur taluk and Arepalya and Surapura villages of Kollegal taluk. Then the line proceeds in northward direction along eastern boundary of Surapura village of Kollegal taluk and passes through co-ordinates N12° 5' 30", E 77° 6' 0" to reach the south-western tip of Madumalegudda Revenue Forest of Thimmarajapura of Kollegal taluk. Then finally from this point, the line runs in northward direction along eastern boundary of Madumalegudda Revenue Forest of Thimmarajapura village to the north-eastern point with co-ordinates N12° 7' 28", E 77° 6' 5" (starting point).</p>
-------------	--

ANNEXURE-II

MAP SHOWING THE ECO-SENSITIVE ZONE OF BILIGIRIRANGASWAMY TEMPLE WILDLIFE SANCTUARY



ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Biligirirangaswamy Temple Wildlife Sanctuary, Karnataka.

Map id	Latitude	Longitude
1	11° 43' 11"	77° 7' 6"
2	11° 45' 24"	77° 4' 11"
3	11° 46' 48"	77° 5' 22"
4	11° 47' 9"	77° 2' 15"
5	11° 48' 44"	77° 0' 22"
6	11° 51' 51"	77° 3' 2"
7	11° 53' 40"	77° 2' 40"
8	11° 55' 9"	77° 4' 22"
9	11° 56' 24"	77° 6' 39"
10	11° 58' 10"	77° 6' 44"
11	12° 1' 2"	77° 4' 56"
12	12° 2' 51"	77° 7' 55"
13	12° 3' 45"	77° 9' 29"
14	12° 4' 57"	77° 8' 4"
15	12° 5' 48"	77° 9' 25"
16	12° 6' 37"	77° 8' 37"
17	12° 8' 41"	77° 10' 18"
18	12° 7' 25"	77° 11' 14"
19	12° 2' 39"	77° 12' 1"
20	12° 5' 47"	77° 12' 18"
21	12° 4' 45"	77° 13' 46"
22	12° 1' 48"	77° 13' 27"
23	12° 1' 15"	77° 14' 32"
24	11° 57' 52"	77° 15' 5"
25	11° 54' 18"	77° 15' 42"
26	11° 54' 4"	77° 14' 24"
27	11° 52' 31"	77° 13' 49"
28	11° 49' 35"	77° 13' 7"
29	11° 51' 31"	77° 14' 42"
30	11° 50' 1"	77° 15' 7"
31	11° 47' 40"	77° 13' 49"
32	11° 47' 5"	77° 11' 0"
33	11° 46' 21"	77° 6' 46"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

Map id	Latitude	Longitude
1	11° 46' 7"	77° 3' 27"
2	11° 46' 30"	77° 1' 47"
3	11° 48' 57"	76° 58' 49"
4	11° 52' 7"	77° 0' 10"
5	11° 54' 15"	77° 1' 31"
6	11° 54' 21"	77° 3' 20"
7	11° 55' 38"	77° 2' 40"
8	11° 55' 29"	77° 4' 51"
9	11° 56' 23"	77° 5' 24"
10	11° 57' 43"	77° 4' 36"
11	12° 0' 5"	77° 5' 4"
12	12° 1' 40"	77° 4' 48"
13	12° 3' 46"	77° 4' 50"
14	12° 5' 33"	77° 4' 33"
15	12° 5' 30"	77° 6' 0"
16	12° 7' 28"	77° 6' 5"
17	12° 7' 40"	77° 7' 54"
18	12° 9' 1"	77° 8' 10"
19	12° 8' 52"	77° 11' 18"
20	12° 6' 56"	77° 12' 59"
21	12° 4' 41"	77° 14' 20"
22	12° 2' 3"	77° 14' 56"
23	12° 1' 41"	77° 16' 17"
24	11° 59' 39"	77° 16' 39"
25	11° 59' 38"	77° 15' 17"
26	11° 57' 11"	77° 15' 50"
27	11° 55' 17"	77° 15' 42"
28	11° 55' 44"	77° 17' 9"
29	11° 54' 53"	77° 17' 55"
30	11° 52' 35"	77° 17' 44"
31	11° 50' 39"	77° 16' 51"
32	11° 48' 43"	77° 15' 15"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BILIGIRIRANGASWAMY TEMPLE WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATE

Map id	Village name	Taluk	District	Area in ha	Latitude	Longitude	Remarks
1	Biligiri Ranaganatha Temple	Yelandur	Chamarajanagara	441.891	11° 59' 50"	77° 9' 29"	*Entire village
2	Emmehatti	Kollegal	Chamarajanagara	55.9225	11° 54' 3"	77° 11' 38"	Entire village
3	Honnametti	Kollegal	Chamarajanagara	493.63	11° 52' 12"	77° 11' 6"	Entire village
4	Bedguli	Chamarajanagara	Chamarajanagara	212.177	11° 50' 39"	77° 9' 57"	Entire village
5	Chikmudahalli	Chamarajanagara	Chamarajanagara	149.674	11° 49' 58"	77° 3' 55"	Entire village
6	Doddamudhalli	Chamarajanagara	Chamarajanagara	494.952	11° 48' 34"	77° 3' 56"	Entire village
7	Punjur	Chamarajanagara	Chamarajanagara	499.589	11° 46' 22"	77° 6' 39"	Entire village
8	Punajanur State Forest	Chamarajanagara	Chamarajanagara	843.949	11° 45' 10"	77° 4' 45"	Entire village
9	Honnegaudanahundi	Chamarajanagara	Chamarajanagara	166.891	11° 46' 17"	77° 1' 57"	Entire village
10	Bommarahalli	Chamarajanagara	Chamarajanagara	336.021	11° 49' 8"	76° 58' 51"	Entire village
11	Haradonahalli District Forest	Chamarajanagara	Chamarajanagara	1401.25	11° 50' 60"	77° 0' 2"	Entire village
12	Attugulipur	Chamarajanagara	Chamarajanagara	279.138	11° 49' 46"	76° 59' 50"	Entire village
13	Hongalayady	Chamarajanagara	Chamarajanagara	35.8129	11° 51' 14"	77° 0' 59"	Entire village
14	Kumbeshwara Colony	Chamarajanagara	Chamarajanagara	458.19	11° 52' 9"	77° 1' 49"	Entire village
15	Ayyanpur	Chamarajanagara	Chamarajanagara	325.893	11° 53' 47"	77° 1' 25"	Entire village
16	Malledevanahalli	Chamarajanagara	Chamarajanagara	301.669	11° 54' 21"	77° 2' 50"	Entire village
17	Haradanahalli District forest	Chamarajanagara	Chamarajanagara	38.8297	11° 53' 32"	77° 3' 22"	Entire village
18	Hondralu	Chamarajanagara	Chamarajanagara	1057.43	11° 55' 41"	77° 2' 39"	Entire village
19	Joytiganapur	Chamarajanagara	Chamarajanagara	212.95	11° 55' 54"	77° 4' 58"	1 km
20	Melmal	Chamarajanagara	Chamarajanagara	982.64	11° 57' 15"	77° 4' 9"	Entire village boundary
21	Timmegoudanapalya	Chamarajanagara	Chamarajanagara	498.752	11° 58' 42"	77° 5' 14"	Entire village
22	Yeragamballi	Yelandur	Chamarajanagara	453.593	12° 0' 44"	77° 4' 25"	1 km
23	Gumballi	Yelandur	Chamarajanagara	108.567	12° 1' 42"	77° 4' 54"	1 km
24	Vadagere	Yelandur	Chamarajanagara	245.268	12° 2' 45"	77° 4' 20"	Entire village
25	Gaudahalli	Yelandur	Chamarajanagara	490.196	12° 3' 12"	77° 4' 45"	Entire village
26	Alkereagrahara	Yelandur	Chamarajanagara	205.254	12° 3' 30"	77° 5' 31"	Entire village
27	Jodimellahalli	Yelandur	Chamarajanagara	68.162	12° 3' 43"	77° 4' 58"	Entire village
28	Malarpalya	Yelandur	Chamarajanagara	256.832	12° 4' 13"	77° 5' 9"	Entire village
29	Devarahalli	Yelandur	Chamarajanagara	93.5211	12° 4' 50"	77° 4' 47"	Entire village
30	Shivakahalli	Yelandur	Chamarajanagara	232.861	12° 5' 44"	77° 4' 43"	Entire

							village
31	Arepalya	Kollegal	Chamarajanagara	75.4656	12° 5' 15"	77° 6' 10"	Entire village
32	Surapura	Kollegal	Chamarajanagara	952.734	12° 6' 8"	77° 5' 56"	Western boundary of Madumale gudda
33	Jakkalidoddi	Kollegal	Chamarajanagara	672.347	12° 6' 40"	77° 7' 18"	Entire village
34	Timmarajapura	Kollegal	Chamarajanagara	845.367	12° 7' 34"	77° 7' 4"	Entire village
35	Hondarabalu	Kollegal	Chamarajanagara	698.986	12° 8' 39"	77° 7' 52"	Entire village
36	Madhuvanahalli	Kollegal	Chamarajanagara	189.245	12° 9' 5"	77° 9' 19"	Entire village
37	Haruvanapuram	Kollegal	Chamarajanagara	158.596	12° 8' 58"	77° 10' 53"	Entire village
38	Lakshmpuram	Kollegal	Chamarajanagara	558.412	12° 8' 22"	77° 11' 48"	Entire village
39	Hona Berrabetta	Kollegal	Chamarajanagara	3690.62	11° 52' 26"	77° 15' 44"	Village till Kollegal-Hasnur Ghat road
40	Chennalinganahalli	Kollegal	Chamarajanagara	493.925	12° 5' 10"	77° 13' 58"	
41	Chikka Malapura	Kollegal	Chamarajanagara	446.874	12° 3' 25"	77° 14' 18"	
42	Siragodu	Kollegal	Chamarajanagara	319.625	12° 2' 19"	77° 14' 35"	
43	Lakkanahalli	Kollegal	Chamarajanagara	1077.19	12° 0' 49"	77° 16' 15"	Entire village
44	Mavattur	Kollegal	Chamarajanagara	140.497	11° 53' 31"	77° 15' 1"	Entire village
45	Gundimalam	Kollegal	Chamarajanagara	93.7811	11° 50' 21"	77° 13' 57"	Entire village
46	Arabikere	Kollegal	Chamarajanagara	1178.13	11° 54' 12"	77° 16' 53"	Entire village
47	Parasegaundanapalya	Kollegal	Chamarajanagara	1013.25	11° 54' 30"	77° 17' 56"	Entire village
48	Utturu	Kollegal	Chamarajanagara	1240.9	11° 51' 21"	77° 16' 56"	Entire village
49	Bailur	Kollegal	Chamarajanagara	956.112	11° 49' 17"	77° 15' 34"	Entire village
			Total:	26243.56			

* The lands given to BRT Temple and to some Government departments would be allowed for future developments with sound eco-friendly norms.

ANNEXURE-V

The list of the adjoining forest areas and villages that are included in the Eco-Sensitive Zone are as follows. NOTIFIED/CLASSIFIED FOREST AREAS –51.53 sq km or 5153.05 ha (Area included in the total geo-graphical area of Eco-sensitive Zone)

Sl. No	District	Name of the Reserve/State Forests etc.,	Administrative control	Area in Ha.	GO No./ Notification No. & date
1	Chamarajanagar	BRT Block – 1	BRT Wildlife Sanctuary. Chamarajanagar	1727.77	G.O.No.LND/PR/210/93-94 dtd. 7-2-1994.
2	Chamarajanagar	Thammanagudda in K.Gudi Range	BRT Wildlife Sanctuary. Chamarajanagar	216.00	Area proposed for Section-4 notificationas per approved management plan 2008-09 to 2017-18.
3	Chamarajanagar	C and D lands	BRT Wildlife Sanctuary. Chamarajanagar	2647.51	G.O.No.RD.06.LGP.88 Bangalore, Dated 07-06-1993.
4	Chamarajanagar	Madumalegudda Revenue Forests	Male Mahadeshwara Wildlife Division	561.77	G.O.No.AHFF-152 FAF-91 Dated 3-6-1991
			Total	5153.05	

ANNEXURE-VI**Eco-sensitive Zone Monitoring Committee - Performa of Action Taken Report : -**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.